छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7–03/2014/सक/26, दिनांक 28/04/2014

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, छत्तीसगढ़
3. समस्त संयुक्त/उप संचालक
समाज कल्याण, छत्तीसगढ़
4. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़
5. समस्त आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका/नगर पंचायत, छत्तीसगढ़

विषय :– सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं सुखद सहारा योजना हेतु निर्देश।

——000——

1. **पेंशन हेतु पात्रता :–**

1.1 **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता अंतर्गत पेंशन योजनाएँ–**

(अ) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन**
60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन

(ब) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन**
40–79 आयु वर्ग की विधवाएँ

(स) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन**
18–79 आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुनिःशक्तता। गंभीर निःशक्त से तात्पर्य किसी एक प्रकार की निःशक्तता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो। बहुनिःशक्तता से तात्पर्य एक से अधिक प्रकार की निःशक्तता।

Addl. Dir (SW)

738

JD (SW)

01.05.2014

1.2 राज्य की पेंशन योजनाएँ–

(अ) सामाजिक सुरक्षा पेंशन

1. 6–17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे, जिसमें 6–14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं है, उन्हें पात्रता नहीं होगी।
2. 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति।
3. बौने व्यक्ति।

(ब) सुखद सहारा योजना

1. 18–39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा।
2. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परित्यक्त महिलायें।

1.3 आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो।

1.4 आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।

शर्त कमांक 1.3 तथा 1.4 उपरोक्त सभी पांचों पेंशन योजनाओं के लिए लागू होगा।

2. पेंशन की दर :–

राज्य शासन द्वारा पेंशन की दर समय–समय पर प्रशासकीय आदेश द्वारा नियत की जा सकेगी। वर्तमान में पेंशन की दर निम्नानुसार है :–

2.1 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता अंतर्गत पेंशन योजनाएँ–

(अ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु 60–79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि ₹ 300/– प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को राशि ₹ 600/– प्रतिमाह। इसमें से कमशः राशि ₹ 200/– प्रतिमाह, राशि ₹ 500/– प्रतिमाह (केन्द्रांश) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन मद से एवं राशि ₹ 100/–प्रतिमाह (राज्यांश) सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद से आहरित की जावेगी।

(ब) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन हेतु राशि ₹ 300/– प्रतिमाह। यह राशि भारत सरकार के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन मद से आहरित की जावेगी।

(स) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन हेतु राशि ₹ 300/– प्रतिमाह। यह राशि भारत सरकार के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन मद से आहरित की जावेगी।

2.2 राज्य की पेंशन योजनाएँ–

(अ) सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु राशि ₹ 300/– प्रतिमाह। यह राशि राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद से आहरित की जावेगी।

Scanned by CamScanner

(ब) सुखद सहारा योजना हेतु राशि ₹ 300/– प्रतिमाह। यह राशि राज्य सरकार के सुखद सहारा योजना मद से आहरित की जावेगी।

3. पेंशन का आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–

3.1 निर्धारित प्रारूप –1 [भाग–एक] में मुद्रित आवेदन–पत्र नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत एवं पंचायत राज संस्थाओं द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत द्वारा मुद्रित फार्म प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराये जायेंगें, जो इन्हें आवेदकों को उपलब्ध करायेगी। मुद्रित आवेदन–पत्र उपलब्ध नहीं होने की दशा में निर्धारित प्रारूप में सादे कागज पर आवेदन दिया जा सकेगा।

3.2 कोई भी जो पात्रता संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर शहरी क्षेत्र की दशा में नगर पालिका/नगर निगम/नगर पंचायत में तथा ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम पंचायत में जमा करेगा। संबंधित स्थानीय संस्था द्वारा आवेदक को पावती दी जाएगी। ग्राम पंचायत, प्राप्त सभी आवेदन–पत्रों की यथा आवश्यक जांच कराकर अपने अभिमत सहित 07 दिवस के अन्दर जनपद पंचायत को अग्रेषित करेगी।

3.3 शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, प्रारूप – दो में एक रजिस्टर रखेगे, जिसमें वह ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्र में प्राप्त आवेदन पत्र दर्ज करेगे, किन्तु रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के पहले यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि आवेदन पत्रों में निम्न शर्तें पूर्ण होती है :–

(क) आवेदक की जन्मतिथि या आयु प्रमाण पत्र। आयु का प्रमाणीकरण निर्वाचक नामावली या गरीबी रेखा की सूची में अंकित आयु के आधार पर सरपंच अथवा शहरी क्षेत्र की दशा में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के महापौर/प्रशासक/अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रारूप–1 [भाग–दो] अनुसार प्रमाणीकरण किया गया हों।

(ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं सुखद सहारा योजना के आवेदिका विधवा के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि संबंधित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया हो।

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदक को निःशक्त के संबंध में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार चिकित्सा मंडल द्वारा गंभीर अथवा बहुनिःशक्तता अथवा सामान्य निःशक्तता का प्रमाण–पत्र दिया गया हो।

(घ) सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 6–14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चों के आवेदन के संबंध में छात्र होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित स्कूल के प्राचार्य/प्रधान अध्यापक द्वारा प्रारूप–1 [भाग–तीन] अनुसार दिया गया हो।

Scanned by CamScanner

(ड.) सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बौने आवेदक/आवेदिका को प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो।

(च) सुखद सहारा योजना के परित्यक्त आवेदिका हेतु परित्यक्ता संबंधी प्रमाणीकरण ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के संबंधित सरपंच अथवा पंच/पार्षद द्वारा प्रारूप–1 [भाग–चार] अनुसार किया गया हो।

3.4 आवेदन पत्रों की निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर में एंट्री की जावेगी। आनलाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर पर आनलाईन एंट्री करना आवश्यक होगा। यह एन्ट्री जनपद पंचायत/नगरीय निकाय स्तर पर ही जाएगी।

4. पेंशन मंजूर करने की प्रक्रिया :–

4.1 शहरी क्षेत्र की दशा में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत में प्राप्त आवेदन–पत्रों के परीक्षण उपरांत शहरी क्षेत्र में संबंधित निकाय के अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी उन्हें अपनी टीप के साथ जनपद पंचायत अथवा नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेंगें।

4.2 शहरी क्षेत्र की दशा में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र की दशा में जनपद पंचायत को प्राप्त आवेदन पत्रों पर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार होगा, किन्तु जनपद पंचायत/नगरीय निकायों के लिए आवश्यक होगा कि कोई आवेदन अस्वीकृत करने की दशा में उसके कारणों का भी उल्लेख करें।

4.3 स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को पंजीकृत आवेदन–पत्र पर आवेदन कार्यालय में प्राप्ति के अधिकतम 60 दिन के भीतर निर्णय लेकर आवेदक को सूचित करना आवश्यक होगा। पेंशन स्वीकृत या अस्वीकृत करने संबंधी निर्णय की सूचना आवेदक को प्रारूप– तीन में दी जावेगी।

4.4 पेंशन की पात्रता होने की स्थिति में पेंशन राशि आवेदन–पत्र पंजीयन होने के माह से स्वीकृत की जावेगी।

4.5 पेंशनर की मृत्यु होने अथवा अपात्र पाए जाने की सूचना मिलने पर तत्काल पेंशन राशि का भुगतान बन्द कर दिया जावेगा। ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के संबंधित सरपंच/पार्षद से अपेक्षा है कि वे पेंशनर की मृत्यु होते ही जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को सूचना देंगे।

4.6 पंचायती राज अधिनियम की धारा 7 एवं 49 में ग्राम सभा को हितग्राहियों के चयन हेतु निम्न प्रावधान निर्धारित है :– "गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना" एवं "हितग्राहियों को निधियों या आस्तियों के समुचित उपयोग तथा वितरण को सुनिश्चित करना"। अधिनियम की धारा 49 में "ग्राम सभा के अनुमोदन से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों को चुनना" तथा

Scanned by CamScanner

"हितग्राहियों के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों का नियंत्रण करना तथा उन्हें पर्यवेक्षण करना"।

अतएव पेंशन हितग्राहियों के चिन्हांकन एवं चयन में ग्राम सभा की भूमिका होगी।

5. स्थानीय निकाय के आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन एवं समिति द्वारा स्वमेव जांच :–

5.1 (क) जनपद पंचायत/स्थानीय निकाय के आदेश के विरूद्ध आवेदन, संबंधित ग्राम पंचायत/मामले में हित रखने वाले अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यावेदन संबंधित जिले के संयुक्त/उपसंचालक, समाज कल्याण/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत कर सकेंगे। परीक्षण उपरांत यदि यह पाया जाता हैं कि पात्रता के बावजूद पेंशन स्वीकृत नहीं की गई तो वे स्वीकृति जारी कर सकेंगे। इसी प्रकार से यदि यह पाया जाता है कि अपात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई है तो वे पेंशन स्वीकृत आदेश भी निरस्त कर सकेंगे।

(ख) अभ्यावेदन के अतिरिक्त प्रकरणों की सेम्पल (रेण्डम) आधार पर अथवा आवश्यकता होने पर निम्नानुसार समिति द्वारा जांच की जावेगी :–

1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अध्यक्ष
2	संयुक्त/उप–संचालक, समाज कल्याण अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
3	ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र की स्थिति में संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय का एक प्रतिनिधि	सदस्य

यह समिति स्वमेव भी स्वीकृत पेंशन प्रकरणों या लंबित आवेदनों का परीक्षण कर उन पर यथा योग्य आदेश पारित कर सकेगी।

5.2 संबंधित जनपद पंचायत/स्थानीय निकाय उपरोक्तानुसार उप कंडिका 5.1 (क) एवं 5.1 (ख) की जांच में अपात्र पाये गये व्यक्तियों की पेंशन तत्काल बंद कर भुगतान की जा चुकी राशि की वसूली की कार्यवाही भी करा सकेगी।

6. पेंशन आबंटन प्रक्रिया :–

6.1 राज्य द्वारा संयुक्त/उप–संचालक, समाज कल्याण को आबंटन जारी किया जायेगा।

6.2 संयुक्त/उप–संचालक, समाज कल्याण द्वारा आबंटन प्राप्त होते ही राशि का आबंटन संबंधित जनपद पंचायत को की जावेगी तथा क्षेत्र के अधीन नगरीय निकाय को प्रतिमाह हितग्राही के मान से राशि आहरित कर उनके खाते में जमा करावेंगे अथवा चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट उपलब्ध करावेंगे। संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रतिमाह संयुक्त/उप–संचालक को भेजा जावेगा।

6.3 संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा सभी पांचों योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त राशि एवं व्यय का लेखा–जोखा पृथक–पृथक रखा जावेगा।

Scanned by CamScanner

6.4 आनलाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर में आवंटन की जानकारी ऑनलाईन अपडेट किया जावेगा।

7. **पेंशन भुगतान प्रक्रिया :—**

ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगरीय निकायों द्वारा पेंशन का भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता खोलकर उनके माध्यम से सामान्यतः किया जाएगा। संबंधित आवेदक को पेंशन की स्वीकृति के तत्काल पश्चात स्वयं का बचत खाता बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खोलना होगा। इस कार्य में विभागीय अमला आवेदक की पूर्ण मदद करेगा।

अपवाद स्वरूप ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर दस किलोमीटर की दूरी के अन्दर पोस्ट आफिस या बैंक नहीं है, वहां नितांत आवश्यकता पड़ने पर ग्राम पंचायत की बैठक में नगद पेंशन राशि का भुगतान किया जा सकेगा, किन्तु यह अपवाद स्वरूप ही होगा व नगद भुगतान के लिए सतर्कता के बतौर ग्राम पंचायत की पूर्ण बैठक में ही किया जावेगा एवं भुगतान के समय सरपंच/उस क्षेत्र के पंच/पटवारी/पंचायत सचिव में से कम से कम दो व्यक्ति का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

7.1 खाते के माध्यम से भुगतान की स्थिति में जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा हितग्राहियों की पेंशन राशि सीधे उनके खाते में जमा कराया जावे। यथासंभव सीधे लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भुगतान किया जावे।

7.2 पेंशन का भुगतान उसी तरह से नियमित रूप से होता रहे, जिस तरह शासकीय कर्मचारी को पेंशन का भुगतान होता है।

7.3 प्रत्येक जनपद पंचायत/नगरीय निकाय संलग्न प्रारूप—चार के अनुसार पेंशन राशि वितरण का विवरण रजिस्टर में संधारित करेंगे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जिसको पेंशन स्वीकृत की गई है, का पूर्ण ब्यौरा होगा और ऐसे व्यक्ति को कितना व किस माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, उसका उल्लेख भी होगा।

उक्त रजिस्टर दो प्रतियों में संधारित किया जावेगा, जिसमें से एक प्रति परफोरेटेड होगी। परफोरेटेड प्रति जिला कार्यालय, समाज कल्याण को प्रारूप—छः में निर्धारित मासिक प्रतिवेदन के साथ भेजा जावेगा।

7.4 यदि कोई हितग्राही लगातार तीन माह या इससे अधिक अवधि तक पेंशन प्राप्त करने हेतु उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसे हितग्राही को पेंशन का भुगतान रोक दिया जावेगा तथा हितग्राही का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एवं समुचित कारण होने पर अध्यक्ष, जनपद पंचायत/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा महापौर, नगर निगम का लिखित अनुमोदन प्राप्त करके ही उक्त हितग्राही को पेंशन का भुगतान पुनः जारी किया जा सकेगा।

7.5 समस्त बैंक/पोस्ट आफिस को सूचित किया जावे कि तीन माह तक हितग्राही के द्वारा पेंशन राशि नहीं लिए जाने पर संबंधित निकाय को तत्काल सूचित करें।

Scanned by CamScanner

7.6 संबंधित पंचायत सचिव की यह जिम्मेदारी होगी कि हितग्राही के मृत्यु होने पर पेंशन रोकने हेतु जनपद पंचायत को सूचित करे।

7.7 वित्त विभाग के निर्देश कमांक 529/कम्प्यू. 1002345/वित्त/बजट–4/चार/ 2012, दिनांक 07.08.2012 के अनुरूप बंटन के अभाव में पेंशन राशि का भुगतान बाधित नही होगा।

7.8 आनलाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर पर भुगतान की जानकारी प्रत्येक माह अपडेट किया जाए।

8. हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन तथा सामाजिक अंकेक्षण :–

समस्त हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन किया जाएगा। यह सत्यापन माह जनवरी में होने वाले ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। हितग्राहियों को इस ग्राम सभा में आवश्यक रूप से उपस्थित रहने हेतु कहा जाए। योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के होने वाले सामाजिक अंकेक्षण के साथ कराया जावे।

पंचायत सचिव ग्रामसभा आयोजन के पश्चात् सत्यापित हितग्राहियों की सूची प्रारूप–5 [भाग–एक] में जनपद पंचायत को प्रेषित करेगा। जनपद पंचायत सत्यापन प्रमाण पत्र प्रारूप–5 [भाग–दो] में संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण को भेजेगा। संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण प्रारूप–5 [भाग–तीन] में संचालक, समाज कल्याण, संचालनालय को भेजेगा।

नगरीय निकायों में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका/पंचायत अधिकारी का दायित्व होगा कि वे उचित रीति से हितग्राहियों का सत्यापन एवं सामाजिक अंकेक्षण करायें एवं प्रमाण पत्र संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण को भेंजें।

जिन हितग्राहियों का नाम सत्यापन प्रमाण पत्र में नहीं होगा उनका भुगतान रोक दिया जाएगा। जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा आनलाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर में सत्यापन की एंट्री किया जाएगा।

9. अभिलेखों का संधारण :–

9.1 शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, पेंशन हेतु आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीयन तथा स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में विवरण, प्रारूप– दो में रजिस्टर में संधारित करें।

9.2 शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत द्वारा पेंशन का मासिक प्रतिवेदन प्रारूप – छः में संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण को भेजा जावेगा।

9.3 आनलाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर पर समस्त जानकारी प्रत्येक माह अपडेट किया जावे।

9.4 संयुक्त/उप–संचालक, समाज कल्याण द्वारा सभी पांचों योजनाओं के अंतर्गत पेंशन के वितरण संबंधी जानकारी पृथक–पृथक योजनावार मासिक प्रतिवेदन प्रारूप– छः में

Scanned by CamScanner

संचालक, समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ को प्रत्येक माह की (मासान्त तक की जानकारी) 10 तारीख के पूर्व प्रेषित करेंगे।

9.5 जिले के संयुक्त/उप संचालक सभी पांचों योजनाओं की व्यय राशि, आहरण राशि का विवरण एवं कोषालय गणक कमांक आदि की जानकारी निर्धारित प्रपत्र प्रारूप–छः (अ) संचालक, समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ को प्रेषित करेंगे।

10. अभिलेखों का निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण :–

10.1 संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण प्रति त्रैमास जिला कार्यालय का निरीक्षण प्रतिवेदन संचालक, समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ को भेजेंगे। प्रत्येक जनपद पंचायत में पदस्थ समाज शिक्षा संगठक अपनी जनपद पंचायत स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पेंशन भुगतान सत्यापित कर प्रतिवेदन जिला कार्यालय, समाज कल्याण को देंगे।

इसी प्रकार सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी/पंचायत सचिव ग्राम स्तर पर भुगतान संबंधी सत्यापन कर जानकारी प्रतिमाह संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/समाज शिक्षा संगठक को देंगे।

10.2 भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा भी लेखाओं का निरीक्षण/परीक्षण किया जा सकेगा।

10.3 महालेखाकार, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों द्वारा भी अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण किया जा सकेगा।

10.4 आवश्यकता होने पर विशेष आडिट दल भेजकर भी आडिट कराया जा सकेगा।

11. हितग्राहियों का स्थानान्तरण :–

11.1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन से 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले हितग्राही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में स्थानांतरित होंगे।

11.2 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले गंभीर/बहुनिःशक्त हितग्राही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना में स्थानांतरित होंगे तथा शेष 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले हितग्राही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानान्तरित होंगे।

11.3 सुखद सहारा योजना से 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली विधवा हितग्राही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में स्थानान्तरित होंगे तथा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली परित्यक्त हितग्राही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानान्तरित होंगे।

11.4 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सीधे कोई नया हितग्राही तभी जोड़ा जाएगा जब उसका नाम गरीबी रेखा की सूची में हो। यदि कोई निराश्रित जो पूर्व से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का हितग्राही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था का लाभ पाना चाहता है तो सर्वप्रथम गरीबी रेखा में नाम जुड़वाना होगा।

Scanned by CamScanner

11.5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं सुखद सहारा योजना से जो हितग्राही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना की पात्रता रखते हैं, वे तत्काल इन योजनाओं में आवश्यक रूप से स्थानान्तरित किया जावे।

12. विविध :–

12.1 कोई भी व्यक्ति राज्य में संचालित समस्त राष्ट्रीय एवं राज्य की पेंशन योजनाओं में से एक समय में एक ही पेंशन योजना से लाभान्वित होगा।

12.2 यह निर्देश जारी होने के पूर्व सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा सुखद सहारा योजना में स्वीकृत हितग्राही यथावत् रहेंगे।

12.3 वह व्यक्ति जिसे पेंशन मंजूर की गई हो उस रकम को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

12.4 शासन द्वारा पूर्व में जारी किया गया युक्तियुक्तकरण निर्देश एवं मार्गदर्शिका क्र/स.क./2005/1718, दिनांक 24 सितम्बर 2005 तथा निर्देश क्रमांक/790/829/2009/सक/26, दिनांक 20 अगस्त 2009 को विलोपित किया जाता है।

यह निर्देश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

(सुब्रत साहू)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 7–03/2014/सक/26, दिनांक /04/2014

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्यण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा को सूचनार्थ।
3. संचालक, समाज कल्याण, संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

Scanned by CamScanner

प्रारूप–1

[भाग–एक]

एकीकृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन योजना/समाजिक सुरक्षा पेंशन/सुखद सहारा योजना हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का फोटो

आवेदन पत्र कमांक

आवेदन दिनांक

*1. योजना का नाम (चिन्ह ✔ लगायें) : इंदिरा वृद्धावस्था पें. ☐ इंदिरा विधवा पें. ☐ इंदिरा निःशक्त पें. ☐

: सामाजिक सुरक्षा पें. ☐ सुखद सहारा पें. ☐

*2. जिला का नाम :

*3. क्षेत्र : ग्रामीण ☐ शहरी ☐

*4. वि.ख./नगि/नपा/नपं/जप :

*5. ग्राम पंचायत/वार्ड :

*6. ग्राम :

7. मोहल्ला :

8. आवेदक का नाम

*प्रथम नाम :

मध्य नाम :

उपजाति/सरनेम :

*9. पिता/पति का नाम :

10. उत्तराधिकारी :

11. आवेदक का पता

मकान नं./ग्राम :

गली/पोस्ट आफिस :

जिला :

पिन कोड :

Scanned by CamScanner

12. गरीबी रेखा से नीचे का विवरण

वर्ष :

विकासखण्ड / नगरीय निकाय :

परिवार पहचान सर्वे कमांक :

सदस्य पहचान कमांक :

12. निराश्रित संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न : हां नहीं

(सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा सुखद सहारा योजना अन्तर्गत स्वीकृत हितग्राहियों के लिए)

*14. लिंग : पुरूष महिला

15. जन्मतिथि :

*16. उम्र : वर्ष / माह / दिन

17. वार्षिक आय :

*18. वर्ग : अजा अजजा अपिव सामान्य

अल्पसंख्यक : हां नहीं

19. विधवा / परित्यक्त (V चिन्ह लगाये) : हां नहीं

20. विकलांग : हां नहीं

21. निःशक्तता का प्रकार –I :

22. निःशक्तता का प्रतिशत :

23. निःशक्तता का प्रकार –II :

24. निःशक्तता का प्रतिशत :

25. मतदाता परिचय पत्र (इपिक) नम्बर :

26. आधार कार्ड नम्बर :

27. राशन कार्ड नम्बर :

*28. भुगतान का तरीका : बैंक पो.आ. नगद म.आ.

Scanned by CamScanner

बैंक/पोस्ट आफिस का नाम : | | | | | | | | | | | | | | |

शाखा का नाम : | | | | | | | | | | | | | | |

खाता कमांक : | | | | | | | | | | | | | | |

आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड : | | | | | | | | | | | | | | |

29. सत्यापन कर्ता : | | | | | | | | | | | | | | |

30. **संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण**

क.	प्रपत्र	जारी दिनांक	जारीकर्ता
1.	आयु प्रमाण पत्र (सरपंच अथवा शहरी क्षेत्र की दशा में महापौर/प्रशासक/अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/जन्म पंजी/चिकित्सक का प्रमाणपत्र/स्कूल प्रमाणपत्र) (सभी पेंशन योजनाओं हेतु अनिवार्य)		
2.	निवास प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी अथवा सरपंच/पार्षद द्वारा जारी) (सभी पेंशन योजनाओं हेतु अनिवार्य)		
3.	निःशक्तता प्रमाण पत्र (निःशक्त व्यक्ति अधिनियम–1995 के प्रावधान अनुसार जारी प्रमाण पत्र) (सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं इंगारा निःशक्त पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		
4.	मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा हेतु) (संबंधित ग्राम/नगरीय निकाय के वार्ड पंच/पार्षद द्वारा प्रमाणित) (सुखद सहारा एवं इंगारा विधवा पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		
5.	पति द्वारा छोड़े जाने का प्रमाण पत्र (परित्यक्त हेतु) (संबंधित ग्राम/ नगरीय निकाय के वार्ड पंच/पार्षद द्वारा प्रमाणित) (सुखद सहारा योजना हेतु अनिवार्य)		
6.	6–14 आयुवर्ग के निःशक्तजनों के लिए स्कूल जाने का प्रमाण पत्र (संबंधित स्कूल के प्राचार्य/प्रधान अध्यापक द्वारा जारी) (सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना हेतु अनिवार्य)		
7.	बौने हेतु प्रमाण पत्र (प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी) (सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना हेतु अनिवार्य)		

–:घोषणा पत्र :–

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति.. ....निवासी ....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि ऊपर बताई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जावे तो शासन नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगा।

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी)

31. आवेदन का परीक्षण : पात्र ☐ अपात्र ☐

Scanned by CamScanner

कारण टीप के साथ :

सत्यापनकर्ता अधिकारी का टीप :

(हस्ताक्षर व पदमुदा)

नाम : ....

पदनाम : सरपंच/सचिव/नगरीय निकाय का अधिकारी/पार्षद

छटनीकर्ता का टीप :

(छटनीकर्ता का हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम : ....

पदनाम : समाज शिक्षा संगठक/नगरीय निकाय के अधिकारी

अनुमोदनकर्ता का टीप :

(अनुमोदनकर्ता का हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम : ....

पदनाम : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जपं/नगरीय निकाय के अधिकारी

नोट :— * चिन्ह वाले स्थानों को भरा जाना आवष्यक है।

प्राप्त आवेदन — पत्र की अभिस्वीकृति

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन/ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना/सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना/सुखद सहारा योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु —

श्री/श्रीमती/कुमारी ....पता.. .... का आवेदन पत्र आज दिनांक ....को नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम/ग्राम पंचायत..कार्यालय में प्राप्त हुआ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
एवं नाम व पद मुद्रा

Scanned by CamScanner

प्रारूप–1
[भाग–दो]

आयु प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र आवेदक के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के द्वारा दिया जावेगा)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि (आवेदक का नाम वल्दियत सहित) .... निवासी (वर्तमान पूर्ण पता सहित) ..

....

वृद्ध/विधवा/परित्यक्ता/निःशक्त है। आवेदक वयस्क है तथा निर्वाचक नामावली के आधार पर आवेदक की वर्तमान आयु .... वर्ष है/आवेदक अवयस्क है, तथा ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा संधारित जन्म पंजी या चिकित्सक के प्रमाण पत्र या स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक की वर्तमान आयु .... वर्ष है।

आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है।

प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम एवं पदमुद्रा सहित)
ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी

स्थान ....
दिनांक ....

Scanned by CamScanner

प्रारूप–1
[भाग– तीन]

6 से 14 वर्ष की आयु के निःशक्त शालेय छात्र के संबंध में प्रमाण–पत्र
(यह प्रमाण–पत्र स्कूल के प्राचार्य/प्रधान अध्यापक द्वारा प्रदान किया जावेगा)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि (आवेदक का नाम वल्दियत सहित) .... पिता का नाम .... की शालेय रिकार्ड के आधार पर जन्मतिथि .... है एवं आयु वर्ष .... है तथा आवेदक (स्कूल का नाम).. . की कक्षा .... का छात्र है।

प्राचार्य/प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर
(नाम एवं पदमुद्रा सहित)

स्थान ....
दिनांक ....

Scanned by CamScanner

प्रारूप—1
[भाग— चार]

परित्यक्ता महिला होने का प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र आवेदक के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने की स्थिति में ग्राम के संबंधित वार्ड के पंच तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के संबंधित क्षेत्र में पार्षद द्वारा किया जावेगा)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि (आवेदक का नाम) .... पिता का नाम .... निवासी (वर्तमान पूर्ण पता सहित).. पति .... द्वारा इन्हें दिनांक .... से परित्याग किया गया हैं। श्रीमती .... अब परित्यक्ता के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही है।

पंच/पार्षद
ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत
जिला .... (छत्तीसगढ़)

स्थान ....
दिनांक ....

Scanned by CamScanner

प्रारूप–दो

सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतग्रत संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेशंन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं सुखद सहारा योजना हेतु आवेदन–पत्रों का पंजीयन रजिस्टर

क्र.	आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक	आवेदक का पूरा नाम व पता	वर्ग अ.जा./अ.ज. जा./पिछड़ा वर्ग	लिंग
1	2	3	4	5

उम्र	पेंशन योजना	ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को प्रेषण करने का दिनांक	पेंशन स्वीकृत/अस्वीकृत	ओदश क्र. व दिनांक
6	7	8	9	10

पेशन स्वीकृति की स्थिति का विवरण			अस्वीकृत का कारण	स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व सील
तिथि/माह जब से स्वीकृत की गई	केन्द्र स्कीम की राशि	राज्य स्कीम की राशि		
11	12	13	14	15

नोट – कालम नंबर 8 केवल ग्राम पंचायत के लिये है।

Scanned by CamScanner

प्रारूप – तीन

आवेदक को सूचना

.... जिला .... छत्तीसगढ़

क्रमांक ....

श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/पत्नी..
.... निवासी ग्राम/नगर ....तहसील/विकासखण्ड ....
.... को जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत की बैठक दिनांक..........
.... में लिये निर्णय अनुसार माह .... वर्ष ....से एतद् द्वारा –

सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन/इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना/सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना/सुखद सहारा योजना अंतर्गत राशि रूपये ..../– प्रतिमाह के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

या

पेंशन की पात्रता न होने से आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

पेंशन अस्वीकृत के कारण ....

हस्ताक्षर

(जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/
नगर पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी)

पृष्ठा क्रमांक........................ दिनांक..............................

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त/उप–संचालक, समाज कल्याण, जिला .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. .आवेदक .... को सूचनार्थ ।

हस्ताक्षर

(जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/
नगर पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी)

Scanned by CamScanner

प्रारूप–चार

सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं सुखद सहारा योजना हेतु पेंशन राशि का वितरण रजिस्टर

क्र.	ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का नाम	हितग्राही का नाम	पता	वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा. /पिछड़ा वर्ग/अन्य	लिंग	उम्र
1	2	3	4	5	6	7

पेंशन योजना	पेंशन स्वीकृति का विवरण स्वीकृति की तिथि
8	9

पेशन भुगतान का विवरण				भुगतान की गई राशि		रिमार्क
बैक का नाम व स्थान	पोस्ट ऑफिस का स्थान	बैंक/पोस्ट आफिस का खाता क्रमांक	ग्राम पंचायत के माध्यम से नगदी भुगतान	केन्द्र स्कीम की राशि	राज्य स्कीम की राशि	
12	13	14	15	16	17	18

नोट – उक्त रजिस्टर दो प्रतियों में संधारित किया जावेगा, जिसमें से एक प्रति परफोरेटेड होगी। परफोरेटेड प्रति जिला कार्यालय, समाज कल्याण को भेजी जायेगी।

Scanned by CamScanner

प्रारूप – 5

[भाग – एक]

वार्षिक सत्यापन का रिपोर्टिंग प्रारूप

सत्यापन दिनांक ....

ग्राम.. ग्राम पंचायत .... जनपद पंचायत .... जिला ....

क्र.	हितग्राही का नाम	पिता / पति का नाम	योजना का नाम	स्वीकृति क्रमांक व दिनांक एवं वर्ष	जीवित (हां / नहीं)	पात्रता (हां / नही)	अपात्र होने का कारण	हितग्राही का हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर

सरपंच

नाम ....

सचिव

नाम ....

Scanned by CamScanner

प्रारूप – 5

[भाग – दो]

वार्षिक सत्यापन का रिर्पोटिंग प्रारूप

जनपद पंचायत/नगरीय निकाय का नाम ....

क.	ग्राम पंचायत की संख्या	कुल हितग्राही	सामाजिक अंकेक्षण पश्चात हितग्राही	ग्राम पंचायत की संख्या जहां सामाजिक अंकेक्षण एवं वार्षिक सत्यापन किया गया है।	ग्राम पंचायत की संख्या जिनके हितग्राहियों की वार्षिक सत्यापन की प्रविष्टि वेबसाइट में की गई है।	ग्राम पंचायत की संख्या जहां सामाजिक अंकेक्षण एवं वार्षिक सत्यापन नहीं किया गया है।	सामाजिक अंकेक्षण एवं वार्षिक सत्यापन नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रमाणित किया जाता है कि सभी पेंशन हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन कर लिया गया है। सत्यापन अनुसार योजनावार हितग्राहियों की संख्या उपरोक्तानुसार है।

हस्ताक्षर

(जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी)

Scanned by CamScanner

प्रारूप – 5
[भाग – तीन]

वार्षिक सत्यापन का रिर्पोटिंग प्रारूप

जिला ....

क.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या जहां सामाजिक अंकेक्षण एवं वार्षिक सत्यापन किया गया है।	ग्राम पंचायत की संख्या जिनके हितग्राहियों की वार्षिक सत्यापन की प्रविष्टि वेबसाइट में की गई है।	ग्राम पंचायत की संख्या जहां सामाजिक अंकेक्षण एवं वार्षिक सत्यापन नहीं किया गया है।	सामाजिक अंकेक्षण एवं वार्षिक सत्यापन नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7

संयुक्त/उप संचालक
समाज कल्याण
जिला– ....

Scanned by CamScanner

प्रारूप – छः

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन/ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना/सुखद सहारा योजना

(आंकड़े लाख में)

क्र.	भाग संख्या	हितग्राही			गत वर्ष का शेष राशि	वर्ष में प्राप्त आबंटन	कुल आबंटन	माह अंत तक व्यय	शेष राशि
		60 से 79 वर्ष	80 वर्ष या ऊपर	योग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	–15–								
2	–53–191–								
3	–53–192–								
4	–53–193–								
5	–80–								
6	–81–191–								
7	–81–192–								
8	–81–193–								
9	–82–								
10	–83–191–								
11	–83–192–								
12	–83–193–								
	योग								

महिला					पुरुष					कुल हितग्राही					रिमार्क
अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

भुगतान संबंधी विवरण		
बैंक	पोस्ट आफिस	नगद
26	27	28

संयुक्त/उप संचालक
समाज कल्याण

नोट – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा सुखद सहारा योजना के लिए कालम 11 से 20 विलोपित माना जावे।

Scanned by CamScanner

...ाजिक सुरक्षा पेंशन

माह ....

(आंकड़े लाख में)

क.	जिला	हितग्राही	गत वर्ष का शेष राशि	वर्ष में प्राप्त आबंटन	कुल आबंटन	माह अंत तक व्यय	शेष राशि	बौने व्यक्ति	निःशक्तजन			सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पूर्व के निराश्रित हितग्राही			योग (9+12+15)
									6 से 17 वर्ष	17 वर्ष से अधिक	योग	वृद्ध	विधवा/परित्यक्त	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	–80–198–														
2	–81–191–														
3	–81–192–														
4	–81–193–														
	योग														

महिला					पुरुष					कुल हितग्राही					रिमार्क
अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

भुगतान संबंधी विवरण		
बैंक	पोस्ट आफिस	नगद
33	34	35

संयुक्त/उप संचालक
समाज कल्याण